

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 17 of 2018

Dist.:- Patna.

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Rajesh Kumar Sinha - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :

For the OP :

ORDER

01.10.2018

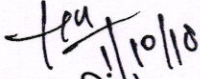
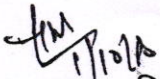
प्रस्तुत सेवा अपील वाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के ज्ञापांक- 4151 दिनांक- 28.03.2018 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक- 1548 (अनु0) दिनांक- 09.09.2016 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध राजस्व पर्षद कार्यालय में पदस्थापन के अवधि में उनके प्रभार से परीक्षा शाखा की महत्वपूर्ण संचिका (संचिका सं०- 2/24-79/06) को अपराधिक साजिश के तहत कार्यालय से गायब करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोप से संबंधित आरोप पत्र (प्रपत्र-क में) तथा प्रत्येक आरोप के मर्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए ज्ञाप सं०- 14447 दिनांक- 25.10.2016 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा,

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से बचाव का एक लिखित अभिकथन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में श्री सिन्हा द्वारा अभिकथन दिनांक- 28.10.2016 समर्पित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन में प्रतिवेदित आरोपों को अस्वीकार किया गया। वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय आदेश सं०- 16118 दिनांक- 02.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 154 दिनांक- 26.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। जाँच प्रतिवेदन एवं आरोप संबंधी साक्ष्य अभिलेखों का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी श्री सिन्हा द्वारा प्रश्नगत संचिका दिनांक- 28.11.2013 को प्राप्त किया गया एवं उनके द्वारा इसे पदचर को आलमीरा में रखने हेतु दी गयी। इस प्रकार उक्त संचिका श्री सिन्हा के प्रभार में आयी और उनके द्वारा संधारण हेतु ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण संचिका गायब हुई। इस प्रकार आरोपी का कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता प्रमाणित होता है। उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा आरोपी श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक, राजस्व पर्षद सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को 'चेतावनी' की शास्ति अधिरोपित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)	

11/11/18

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के तहत एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि श्री सिन्हा को दिया गया दंड सही एवं आनुपातिक है। अपीलार्थी द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि “जब संचिका मेरे प्रभार में थी ही नहीं है और काम के लिये परिचारी से प्राप्त करने के पश्चात् उसे पुनः परिचारी को लौटा दिया, तो उस संचिका के रख-रखाव में हुए लापरवाही को दोष मुझ पर मढ़ते हुए मेरे विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्रवाई को साक्ष्य के आधार पर दोष मुक्त करने की कृपा की जाये।” सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आरोपी श्री सिन्हा द्वारा प्रश्नगत संचिका दिनांक- 28.11.2013 को प्राप्त किया गया एवं उनके द्वारा इसे पदचर को आलमीरा में रखने हेतु दी गयी। इस प्रकार उक्त संचिका श्री सिन्हा के प्रभार में आयी और उनके द्वारा संधारण हेतु ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण संचिका गायब हुई। इस प्रकार आरोपी का कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता प्रमाणित होता है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	